

कार्यालय

मुख्य

पत्रांक: CFO-BBK/Memo/2020(02)

अग्निशमन

अधिकारी

बाराबंकी

दिनांक: 08/09/2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट जेवियर्स स्कूल,
तहसील हैदरगढ़,
जिला—बाराबंकी।

विषय: खसरा संख्या—278 ग्राम सतरही, तहसील हैदरगढ़, नई सड़क रोड, जिला—बाराबंकी पर सेन्ट जेवियर्स स्कूल के निर्मित/निर्माणाधीन शैक्षिक भवन मानचित्र पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया याचिका संख्या: 5696(एम/बी)/2006 आदेश दिनांक: 08.09.2006 के अनुपालन में उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रेषित मानचित्रों एवं अभिलेखों का अग्निशमन अधिकारी हैदरगढ़—बाराबंकी के द्वारा अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण एवं प्रेषित मानचित्रों का परीक्षण किया गया। अग्निशमन अधिकारी हैदरगढ़ बाराबंकी की आख्या के अनुसार विवरण निम्नवत है:-

भवन की सरचना:-

- 1—कुल भूखण्ड एरिया— 5058.28 वर्ग मीटर।
- 2—भूतल कवर्ड एरिया— 807.95 वर्ग मीटर।
- 3—प्रथम तल का कवर्ड एरिया 817.45 वर्ग मीटर।
- 4—द्वितीय तल का कवर्ड एरिया 817.45 वर्ग मीटर।*
- 5—भवन की ऊँचाई लगभग —11.40 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी— प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0—2005 की शैक्षिक भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्था:-

- 1—पहुंच मार्ग:— 7.62 मीटर रोड।
- 2—प्रवेश द्वार की चौड़ाई—4.50 मीटर के दो गेट। (प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.50मीटर से कम न हो)
- 3—सेटबैक:— प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:-
 - ए0—अग्रभाग — 44.04 मीटर।
 - बी0—पृष्ठ भाग — 6.10 मीटर।
 - सी—पार्श्व भाग प्रथम — 6.10 मीटर।
 - डी—पार्श्व भाग द्वितीय — 6.10 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार हैं सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

- 4—निकास मार्ग:—1.50 मीटर चौड़ाई के दो अद्द स्टेयरकेस एवं दो मीटर चौड़ाई का एक अद्द रैम्प प्रस्तावित है।
- 5—रिफ्यूज एरिया का विवरण..... वॉछित नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था— नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पर्ण की जानी अनिवार्य है।

Manager
St. Xavier's School
Haidergarh-Barabanki (U.P.)

PRINCIPAL
FATIMA SCHOOL
GONDA-271002

CFO
BBK

Principal
St. Xavier's School
Haidergarh-Barabanki (U.P.)

कमशून्य पेज सं01 2 पर
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
गोमती नगर / Gomti Nagar
लखनऊ-226010 / Lucknow-226010

(2)

- 1— भूमिगत टैंक:- वॉछित नहीं है।
- 2— पम्प— वॉछित नहीं है।
- 3— होजरील:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार प्रस्तावित है।
- 4— वेटराइजर:- वॉछित नहीं है।
- 5— प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आईएस0-13039:1991 के अनुसार वॉछित नहीं है।
- 6— हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:- वॉछित नहीं है।
- 7— स्वचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- वॉछित नहीं है।
- 8— स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- वॉछित नहीं है।
- 9—टेरिस टैंक— प्रश्नगत शैक्षिक भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10 हजार लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।
- 10—टेरिस पम्प— प्रश्नगत शैक्षिक भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 के अनुसार प्रस्तावित है।
- 11—प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्स्टिंग्यूशर) प्रश्नगत शैक्षिक भवन में फायर एक्स्टिंग्यूशर आईएस -2190-2010 के अनुसार प्रत्येक तलों पर 04-04 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्स्टिंग्यूशर क्षमता 06 के0जी0 प्रस्तावित है।
- 12—स्मोक एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम:- वॉछित नहीं है।
ए0— फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग:- वॉछित नहीं है।
बी0—सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था:- वॉछित नहीं है।
सी0—स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण:- वॉछित नहीं है।
- 13— प्रेशराइजेशन प्रणाली:- वॉछित नहीं है।
- 14— एरिजिट साईनेज— सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।
- 15— पी0ए0सिस्टम:- प्रस्तावित है।
- 16— फायर मैन स्विच युक्त फायरलिफ्ट... वॉछित नहीं है।
- 17— विद्युत आपूर्ति के स्रोतः— जनसेट प्रस्तावित है।
- 18— अनुरक्षण का विवरण:- निर्माणोपरान्त प्रतिवर्ष वॉछनीय है।
- 19— निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल का विवरण:- निर्माणोपरान्त प्रतिवर्ष वॉछनीय है।

उपरोक्तानुसार सेन्ट जेवियर्स स्कूल, खसरा संख्या-278 ग्राम सतरही, तहसील हैदरगढ़ नई सड़क रोड जिला-बाराबंकी पर निर्मित/निर्माणाधीन शैक्षिक भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि प्रबन्धक द्वारा शैक्षिक भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा शैक्षिक भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले शैक्षिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। जारी की जाने वाली प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र का केवल अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए ही मान्य होगी।

संलग्नक—अनुमोदित मानचित्र।

Manager
St. Xavier's School
Haidergarh-Barabanki (U.P.)

PRINCIPAL
FATIMA SCHOOL
GONDA-271002

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी हैदरगढ़, बाराबंकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। केन्द्रीय विद्यालय/Gandhi Nagar/Oomi Nagar

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बाराबंकी।
प्राप्ति/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
गांधी नगर/Oomi Nagar
लखनऊ-226010/Lucknow-226010